न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 53/2023
जीसीएमएस नम्बर 2023/106 निर्णय दिनांक 18.7.2025

मानकचन्द पुत्र हंसराज जाति ओसवाल (डागा) निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

बनाम

1. दमयंति पत्नी जुगलकिशोर
2. प्रदीप कुमार पुत्र जुगलकिशोर | जाति ब्राह्मण (सिखवाल) निवासीगण श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
3. प्रेमलता पत्नी चिरंजीलाल जाति ओसवाल (सिंघी) निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. मनीष कुमार शर्मा पुत्र जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मोमासर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
5. माणिकचन्द पुत्र मेघराज जाति ओसवाल (सिंघी) निवासी मोमासर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. अभिजीत
7. अभिलाषा | पुत्र/पुत्री सीमा पत्नी दलीप कुमार जाति सिखवाल निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

9. सुखमाल उर्फ सुजमाल पत्नी मानकचन्द जाति ओसवाल (डागा) निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।.

—गौण प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक वादी।
2. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 व 7।
3. श्री नारायण प्रसाद जोशी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 व 5।
4. श्री बृजलाल बारोटिया अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 4 व 9।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी निम्नानुसार निवेदन करता है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की माता सीमा व गौण प्रतिवादी संख्या 9 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 153 तादादी 3.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 तादादी 9.19 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। इन खेतो की खातेदारी मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 214/1279 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 214/1279 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 160/1279 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 159/1279 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 159/1279 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की मां सीमा पत्नी दलिप कुमार का 214/1279 हिस्सा व वादी का 159/2558 हिस्सा, गौण प्रतिवादी संख्या 9 का 159/2558 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की मां सीमा पत्नी दलिप कुमार की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 सीमादेवी के जायज वारिसान है, परन्तु उनके नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है। मौके पर पक्षकारान ने मौखिक विभाजन कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्सा की सीमाबन्दी भी कर रखी है। खसरा नम्बर 153 एन. एच. 11 के उतर में है तथा खसरा नम्बर 155 एन. एच. 11 के दक्षिण तरफ है। मौखिक विभाजन के अनुसार वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 9 के हिस्से में खसरा नम्बर 153 की 159/1279 हिस्सा भूमि आई हुई है। वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 9 की जमीन मौके पर एकल है। वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 9 ने अपनी जमीन के चारो ओर सीमा बन्दी के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 13:59:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

पुख्ता निर्माण करवा रखा है। मौके पर पक्षकारान मौखिक विभाजन के अनुसार अपने–अपने हिस्से भूमि पर काबिज है, परन्तु खातेदारी संयुक्त चली आ रही है । खातेदारी संयुक्त चली आने से नक्शा में भी मौखिक विभाजन के अनुसार तरमीम नही हो सका है। खातेदारी संयुक्त चली आने से नक्शा में कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नहीं होने से वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 9 को काफी परेशानी हो रही है। वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 9 अपने हिस्सा पांति व मौखिक विभाजन अनुसार कब्जा काश्त में आई भूमि का अपने अनुसार सुधार नहीं करवा पा रहे है, ना ही भू–रूपान्तरण करवा पा रहे है । जिससे वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 9 को काफी परेशानी हो रही है । खसरा नम्बर 153 में वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 9 की 159/2558–159/2528 कुल 159/1279 हिस्सा भूमि मौखिक विभाजन अनुसार आई हुई है, जिसकी घोषणा करवाया जाना आवश्यक है। वादी ने दिनांक 13.02.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को मौखिक विभाजन अनुसार विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में भी अपने–अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी अलग दर्ज करवा लेने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण मौखिक विभाजन अनुसार विभाजन करवाने से इन्कार हो गये, यही दावा का हेतु है। वादंगत भूमिं की खातेदारी में वादी का हिस्सा होने से वादी को वादाधार हासिल है। वादगत खेतो का लैण्ड लोर्ड स्टेट है, इसलिये दावा में आवश्यक पक्षकार होने से उसे पक्षकार बनाया गया है। स्टेट के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा है जो उसके हितो के विपरित हो । स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी के तहत नोटिस की अनिवार्यता में छूट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छूट प्राप्त कर दावा पेश किया जा रहा है। वादी व गौण प्रतिवादी श्रीडूंगरगढ़ के निवासी है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 के मातहत कर्मचारियो ने गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में वादी व गौण प्रतिवादी का साकिन मोमासर होना गलत लिख दिया, जबकि वादी व गौण प्रतिवादी 9 श्रीडूंगरगढ़ के निवासी है। राजस्व रेकार्ड में गौण प्रतिवादी का 9 का नाम भी गलत लिख दिया गया, गौण प्रतिवादी संख्या 9 का नाम सुखमाल पत्नी मानकचन्द है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में सुजमाल पत्नी मानकचन्द निवासी मोमासर लिख दिया, जिसको भी दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है । वादंगत खसरान भूमि रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है, इसलिये दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। दावा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है । दावा हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा वादी पेशकर निवेदन किया गया है कि दावा वादी निम्नानुसार सादर डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि खेत खसरा नम्बर 153 तादादी 3.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 तादादी 9.19 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन कर वादी का 159/2558 व गौण प्रतिवादी संख्या 9 का 159/2558 का हिस्सा खसरा नम्बर 153 में दर्शाया जाकर खेत, खसरा नम्बर 153 की खातेदारी में 159/2558 हिस्सा वादी का व 159/2558 हिस्सा गौण प्रतिवादी संख्या 9 का घोषित कर तद्नुसार नक्शा में वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा अलग दर्शाया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में तद्नुसार तरमीम किया जावे तथा अलग लगान कायम किया जावे तथा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शा में अंकन करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 8 को दिया जावे।

(ख) कि वादगत खेत का राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कर वादी का निवास मोमासर की जगह श्रीडूंगरगढ़ व गौण प्रतिवादी संख्या 9 का नाम सुजमाल की जगह सुखमाल तथा निवास मोमासर की जगह श्रीडूंगरगढ़ किये जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 8 को दिया जावे।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादी का प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 से दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावे, आज्ञाप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 9 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होने का कथन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को बार–बार आवाजे

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 13:59:09 IST
Reason: Self Attested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

लगवाई गई। परन्तु इनकी ओर से असालतन व वकालतन कोई हाजिर नही आया है लिहाजा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी पेश कर दस्तावेज प्रर्दश करवाये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता द्वार वादी से जिरह पूर्ण की गई। वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करनें का निवेदन किया गया। जिस पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 9 के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करनें का कथन किया गया। लिहाजा साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई। उभयपक्षकारन द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 153 तादादी 3.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 तादादी 9.19 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादी का निवास मोमासर के स्थान पर श्रीडूंगरगढ़ व गौण प्रतिवादी संख्या 9 का नाम सुजमाल के स्थान पर सुखमाल तथा निवास मोमासर के स्थान पर श्रीडूंगरगढ़ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के आने–जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.7.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 13:59:09 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल (R.A.S)

उनवान

मानकचन्द पुत्र हंसराज जाति ओसवाल (डागा) निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

बनाम

1. दमयंति पत्नी जुगलकिशोर | जाति ब्राह्मण (सिखवाल) निवासीगण श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. प्रदीप कुमार पुत्र जुगलकिशोर |
3. प्रेमलता पत्नी चिरंजीलाल जाति ओसवाल (सिंधी) निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. मनीष कुमार शर्मा पुत्र जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मोमासर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. माणिकचन्द पुत्र मेघराज जाति ओसवाल (सिंधी) निवासी मोमासर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. अभिजीत | पुत्र/पुत्री सीमा पत्नी दलीप कुमार जाति सिखवाल निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
7. अभिलाषा |
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

9. सुखमाल उर्फ सुजमाल पत्नी मानकचन्द जाति ओसवाल (डागा) निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—गौण प्रतिवादी—

दावा बाबत विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 53/2024
निर्णय दिनांकः 18.7.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री पूनमचन्द मारू अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता के.के. पुरोहित प्रतिवादीगण संख्या 3 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद जोशी, प्रतिवादीगण संख्या 4 व 9 की ओर से अधिवक्ता बृजलाल बारोटिया प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से पैरोकारराज एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 153 तादादी 3.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 तादादी 9.19 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादी का निवास मोमासर के स्थान पर श्रीडूंगरगढ़ व गौण प्रतिवादी संख्या 9 का नाम सुजमाल के स्थान पर सुखमाल तथा निवास मोमासर के स्थान पर श्रीडूंगरगढ़ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के आने–जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की सहमति से तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 13:59:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 18 माह 7 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 13:59:09 IST
Reason: SelfAttested